न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–180/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/180)

1. किशनलाल पुत्र रामलाल
2. गोकली पत्नि रामलाल
3. गणेश पुत्र रामलाल
4. रामफूल पुत्र रामलाल
   समस्त जाति जोगी, निवासी बघेरा, तहसील व जिला केकडी।

अपीलांट्स

बनाम

1. सत्यनारायण योगी पुत्र पांचू नाथ, जाति नाथ, निवासी ग्राम बघेरा तहसील व जिला केकडी।
2. कैलाश पुत्र भेरूनाथ
3. रामनिवाश पुत्र भेरूनाथ
   समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम बघेरा तहसील व जिला केकडी।
4. कैलाशी पुत्री रामलाल पत्नि छीतर जाति जोगी निवासी ग्राम बघेरा तहसील व जिला केकडी, हाल हिगोनिया तहसील सरवाड जिला केकडी।
5. गणेशी पुत्री रामलाल पत्नि राजेश नाथ जाति जोगी निवासी ग्राम बघेरा तहसील व जिला केकडी हाल कुरावास, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।
6. रूपा पुत्री रामलाल पत्नि जयनारायण जाति जोगी निवासी ग्राम बघेरा तहसील व जिला केकडी हाल हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।
7. कृष्णादेवी पत्नि श्योजी
8. दिनेश पुत्र श्योजी
   समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम बघेरा तहसील व जिला केकडी।
9. निर्मला पुत्री श्योजी पत्नि शैतान
10. पिंकी पुत्री श्योजी पत्नि भरतराज
    दोनों जाति जोगी निवासी ग्राम बघेरा तहसील व जिला केकडी हाल धूवाखुर्द वाया घाड़, तहसील दूनी जिला टोंक।
11. नन्दू देवी पत्नि बन्ना जाति जोगी
12. सुरेशनाथ पुत्र बन्ना जाति जोगी
    समस्त निवासी ग्राम बघेरा तहसील व जिला केकडी।
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी, जिला अजमेर।
14. उप–पंजीयक केकडी तहसील केकडी।

रेस्पोडेंट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 148/2023 (2023/427) बउनवानी सत्यनारायण बनाम कैलाश।</u>

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गिरीश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री धर्मराज शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2, 4 से 6 व 12

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

4. श्री पुष्पेन्द्र भाटी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
5. श्री विकास पारासर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 13, 14
6. रेस्पोडेंट संख्या 7 से 11 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—21.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 148/2023 (2023/427) में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 12/प्रतिवादी के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4948/5289 रकबा 0.68 हेक्टर राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 व अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का 1/5 हिस्सा निहित है। उपरोक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजी होने से बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त प्रस्तुत वाद विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 8.8.2023 को दर्ज कर नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए एवं इसके पश्चात दिनांक 21.2.2024 को पक्षकारान की सहमति अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार केकड़ी को मौके पर स्वंय उपस्थित होकर मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन किए जाने व विभाजन प्रस्ताव भेजे जाने के आदेश पारित किए गए है। उक्त अनुपालना में तहसीलदार द्वारा एकपक्षीय नक्शे कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 17.5.2024 को प्रेषित की है उक्त नक्शे कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 15.4.2024 की अनुपालना में अंतिम डिक्री दिनांक 30.7.2024 को पारित की जाकर अपीलांट्स को उनके निहित खातेदारी अधिकारो से महरूम किए जाने के आदेश पारित किए गए है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 148/2023 (2023/427) में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 7 से 11 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंटस संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र से पूर्व पक्षकारान के मध्य मौके पर मौखिक विभाजन अनुसार अपीलांट्स व रेस्पोडेंटस अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है व उक्त संदर्भ में बिना अपीलांट्स व रेस्पोडेंटस की उपस्थिति में नक्शे कुर्रेजात कायम किए बिना एकमात्र रेस्पोडेंटस संख्या 1/वादी का हिस्सा पृथक कर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 12 का शमलाती हिस्सा रखे जाने के आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

पारित कर निर्णय व डिक्री पारित की गई। विचारण न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को एकपक्षीय रूप से प्रेषित नक्शे कुरेजात जिसके विरूद्ध प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 30.7.2024 से ही निरस्त कर उक्त दिनांक को ही यथावत डिक्री किया जाकर इन्ही सहखातेदारान के नाम रहे राजस्व अभिलेख में रहे अंकन के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात को विभाजन किए जाने के आदेश दिए गए है एवं इसके पश्चात अंतिम डिक्री पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित एकपक्षीय नक्शे कुरेजात के आधार पर प्रस्तुत वाद को निर्णय दिनांक 30.7.2024 से अंतिम डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए। विचारण न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए, बिना नक्शे कुर्रेजात का अवलोकन किए एकपक्षीय रूप से नक्शे कुर्रेजात जो कि आज्ञात्मक प्रावधानो के विपरीत प्रेषित की है, पर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकमात्र वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा पृथक रूप से दर्शाया जाकर विशिष्ठ भू-भाग की आराजीयात को उसके नाम अंकन कर शेष रेस्पोडेन्ट व अपीलांट्स का हिस्सा शामलाती रूप से जमाबंदी में अंकन किए जाने बाबत अन्तिम डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा एकतरफा पारित निर्णय व डिक्री जिसमें अपीलांट्स की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 4948/4289/1 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी की खातेदारी में होना दर्शित कराया जाकर 4948/5289/2 को अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 के खाते में दर्शाया जाकर प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर ही अन्तिम डिक्री पारित की गई है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत बिना विधिवत रूप से नोटिस जारी किए, पक्षकारान को मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचना दिए बिना पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार केकड़ी के निर्देशानुसार मौके पर जाना रिपोर्ट दिनांक 15.4.2024 पर अंकन है, मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी के अतिरिक्त अन्य कोई उपस्थित नहीं हुआ, वर्णित करते हुए एकपक्षीय नक्शे कुर्रेजात नियम 18 से 21 की पालना किए निर्मित किए गए है व अपीलांट्स के हिस्से की खातेदारी की आराजीयात को जहां अपीलांट्स के मकानात बने हुए रेस्पोडेन्ट के नाम दर्शाए जाकर नक्शे कुर्रेजात प्रेषित किए गए है, जिसके आधार पर निर्णय दिनांक 30.7.2024 पारित किया जाकर अंतिम डिकी पारित की गई है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 148/2023 (2023/427) में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी की पुश्तैनी आराजीयात ग्राम बघेरा पटवार क्षेत्र बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व उपयोग उपभोग की है। जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 का प्रत्येक का 2/105, 2/105 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 का प्रत्येक का 1/72, 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 16 का प्रत्येक का 1/54, 1/54 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 17 का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

1/18 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 को बिना विधिवत बंटवारा के वाद वर्णित आराजी को अंतरण, बैचान करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 ने वादी को धमकी दी व बंटवारा करने से मना किया। अतः वाद वर्णित आराजी का बंटवारा किया जाकर वादी का 1/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 का प्रत्येक का 2/105, 2/105 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 का प्रत्येक का 1/72, 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख 14 लगायत 16 का प्रत्येक का 1/54/, 1/54 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 17 का 1/18 हिस्सा मौके पर नाप चौप कर संभलाया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में भी उक्त हिस्सा अनुसार अलग अलग इंद्राज की जावे एवं नक्शा ट्रेस में भी अलग अलग तरमीम की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी के 1/5 हिस्सा के संयुक्त कब्जे काश्त में बिना विभाजन के किसी प्रकार की कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही आराजी को किसी प्रकार से नष्ट करे ना ही बिना विभाजन के किसी अजनबी व्यक्ति को किसी प्रकार से अंतरण, हस्तानांतरण नहीं करे, ना ही वाद वर्णित संपूर्ण आराजी को नष्ट भ्रष्ट करे ना ही वादी को जबरन बेदखल करे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया। दिनांक 8.8.2023 को वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जवाब हेतु नोटिस जारी किए गए। दिनांक 4.9. 2023 को प्रतिवादी संख्या 2 से 6 व 14, 15 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा पावर पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 19.9.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्व में बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 17.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 10 से 13 व 17 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा पावर पेश किया गया। दिनांक 3.1.2024 को प्रतिवादी संख्या 7 से 9 व 16 के पूर्व में बावजूद सम्मल तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 21.2.2024 अधिवक्ता उभयपक्षों द्वारा मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किए जाने हेतु सहमति जाहिर कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किए। पत्रावली में बंटवारा मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार किए जाने हेतु सहमत होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया गया। तहसीलदार केकडी को मौके पर स्वयं उपस्थित होकर मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किए जाने हेतु निर्देश दिए गए। दिनांक 20.6.2024 को तहसीलदार केकडी द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव का पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। दिनांक 26.6.2024 वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव हेतु पेश किया। दिनांक 30.7.2024 को अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाकर तहसीलदार केकडी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.7.2024 को अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा तहसीलदार केकडी को स्वयं उपस्थित होकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने बाबत निर्देशित किया गया था जिसकी पालना में समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 2529–45 दिनांक 4.4.2024 को जारी किए गए थे व जिनकी तामील विधिवत रूप से करवाई गई थी। जिसके बावजूद भी अपीलांट/प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित नहीं हुए व तहसीलदार केकडी, भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.4.2024 को आराजी खसरा नम्बर 4948/5289 के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष अपनी मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें पक्षकारान के हक व हिस्से अनुसार ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित नहीं की गई है। चूंकि अपीलांट्स द्वारा अपने वाद में यह कथन अंकित किए गए है कि उन्हें मौका रिपोर्ट बाबत कोई नोटिस नहीं जारी किए गए व बिना उनकी उपस्थिति में तहसीलदार केकडी द्वारा नियम 18 से 21 की पालना किए बिना कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि उनके द्वारा कहे गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है। चूंकि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते-आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 20.6.2024 को पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.7.2024 को अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाकर तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.2.2024 को प्राथमिक डिक्री उभयपक्षों द्वारा सहमति जाहिर किए जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया उसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.7.2024 को अंतिम डिक्री पारित की गई जिसमें रेस्पोडेंट/अपीलांट को उनके हक हिस्से अनुसार खसरा नम्बर 4948/5289/1 का रकबा 0.1360 व शेष पक्षकारों को उनके हक हिस्से अनुसार खसरा नम्बर 4948/5289/2 का रकबा 0.5440 के अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवांरा किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करते समय किस प्रकार की विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की है इस संदर्भ में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अपनी अपील के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है। अंतिम डिक्री पारित करते समय किसी भी पक्षकारान का राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई हक हिस्सा कम अथवा ज्यादा नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में अंतिम डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की कोई प्रक्रियात्मक, विधिक, न्यायिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुकुल है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केंकडी द्वारा प्रकरण संख्या 148/2023 (2023/427) में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

21/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलास–रामचन्द, आर.ए.एस.

किशनलाल पुत्र रामलाल जाति जोगी निवासी बघेरा तहसील व जिला केकडी व अन्य।

बनाम

सत्यनारायण योगी पुत्र पांचू नाथ जाति नाथ निवासी ग्राम बघेरा तहसील व जिला केकडी व अन्य।

(अपील संख्या 180/2024 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी मुबर्खे 30 माह 07 सन् 2024, प्रकरण संख्या 148/2023(2023/427) बउनवानी सत्यनारायण बनाम कैलाश वगै)

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज0 काश्त0 अधि0

यह अपील ब तारीख 21 माह 01 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट,श्री गिरिश शर्मा,अभिभाषक रेस्पों संख्या 01 श्री धर्मराज शर्मा अभिभाषक रेस्पो संख्या 2, 4 से 6 व 12, श्री पुष्पेन्द्र भाटी अभिभाषक रेस्पों संख्या 03, श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 13,14, रेस्पों संख्या 07 से 11 अनुपस्थित, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:– अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 148/2023(2023/427) में पारित अंतिम निणर्य व डिक्री दिनांक 30.07.2024 को यथावत रखा जाता है।

खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बस्तत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 21 माह 01.सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोट:–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये

Scanned with CamScanner